भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1323

शनिवार 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

ईपीएफओ की ब्याज दर

1323. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को कितनी ब्याज दर का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिये कर्मचारी भविष्य निधि पर और कम ब्याज दर का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि पर कितनी ब्याज दर प्रदान की जा रही है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को हानि होने की संभावना है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है जो इस निधि में नियमित रूप से अंशदान दे रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अंशदाताओं को भुगतान किए गए ब्याज की दरों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

जारी---2/-

वर्ष	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)
2016-17	8.65
2017-18	8.55
2018-19	8.65

(ख) और (ग): ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 60(4) के अनुसार किसी वित्त वर्ष के लिए आय और देनदारियों के आधार पर ईपीएफ सदस्यों के खातों में ब्याज दर क्रेडिट की जाती है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आपवादिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय बोर्ड, ईपीएफ की 9 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न 227वीं बैठक में ब्याज दर से संबंधित एजेंडा की समीक्षा की गई और बोर्ड ने केन्द्र सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.50 प्रतिशत की पूर्व की ब्याज दर की सिफारिश की । केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

(घ) और (ङ): ईपीएफ ब्याज दर की घोषणा एक गतिशील प्रक्रिया है जो उस वर्ष विशेष की आय पर निर्भर करती है। ऐसी कोई निर्धारित/मानक ब्याज दर नहीं है जिससे घोषित ब्याज दर से कर्मचारियों को हुए लाभ/हानि की तुलना की जा सके।

***